

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन राहापक कलक्टर, कपासन जिला - चैतीडागढ (राज.)

श्रीमान- अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 केम्प स्थल - कपासन


धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. ड.15/25

दापर दिनांक 02/10/25

निर्णय दिनांक 02/10/25

ग्रामीण सेवा शिविर-2025



क्र.सं.	नाम-ग्राम	खान	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	<u>अरसरा</u>	163	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ़ वीकनेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ़ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी नरेंद्र कपासन को प्रेषित है। वर्तमान प्रविष्टि स्टेट बैंक ऑफ़ वीकनेर एण्ड जयपुर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया शुद्ध प्रविष्टि	तहसीलदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अधीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>अरसरा</u> प.ह. <u>अरसरा</u> खानासं <u>163</u> में वर्तमान प्रविष्टि स्टेट बैंक ऑफ़ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
	हस्ताक्षर मन्दावीरा	हस्ताक्षर गिरदावर	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	पदेन सहायक कलक्टर कपासन
	<u>पटवारी</u>	<u>पटवारी</u>		

प्रतिनिधि पालनार्थ:-  
 1. पटवारी पटवार मण्डल ..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद कर अरसरा जिला चित्तौड़गढ़

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन

तहसीलदार (प.अ.) कपासन  
 तहसीलदार कपासन  
 तहसीलदार (प.अ.) कपासन